न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–39/2026

कृष्णावती देवी एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

विकास कुमार पंजियार एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
13.03.2026	वादीगण की ओर से पैरवी है। वादीगण की तरफ से एक आवेदन दिनांक 24.02.2026 अंदर आदेश 26 नियम 09 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दाखिल किया गया है, जो आज दिनांक 13.03.2026 को आदेश हेतु नियत है। वादीगण के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि प्रस्तुत मुकदमा वादपत्र सं0–02 में वर्णित वादग्रस्त एराजी पर अपने हकियत वो कब्जा की घोषणा वो सय एराजी के अंश के निस्वत मुदालह द्वितीय पक्ष द्वारा मुदालह प्रथम पक्ष के पक्ष में निष्पादित पाँच किता बयनामा दिनांक 04.07.2025 वो दो किता बयनामा दिनांक 08.07.2025 को बेकार, बेअसर बिना दाम का शून्य दस्तावेज घोषित करने एवं अस्थायी वो स्थायी इम्तनाई आदेश द्वारा मुदालह को वादग्रस्त एराजी पर मुदईयान के दखल–कब्जा में किसी तरह का व्यवधान वो झंझट करने वो विवादित एराजी के बिक्री पर रोक लगाने वो अन्य अनुतोष के लिए दाखिल किया है। मुदालहम वादग्रस्त भूमि मुन्दर्जे अर्जी नालिश मद सं0–02 से मुदईयान को गैरकानूनी तरीके से बलपूर्वक बेदखल करने वो भूमि पर कच्चा निर्माण कर स्वरूप परिवर्तित करने पर अमादे वो प्रयासरत है जिसके लिए मुदईयान ने इम्तनाई आवेदन दाखिल किया है। ऐसी परिस्थिति में वादग्रस्त भूमि के वर्तमान स्वरूप से संबंधित प्रतिवेदन अभिलेख पर लाने हेतु विद्वान अधिवक्ता आयुक्त के जाँच प्रतिवेदन की आवश्यकता महसुस करते हुए इस आवेदन में जाँचोपरान्त प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु विद्वान अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति के लिए इस आवेदन की आवश्यकता हुई है। वर्णित प्रतिवेदन अभिलेख पर आने से किसी को कोई क्षति नहीं है। वादग्रस्त भूमि न्यायालय	

<u>न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–39/2026</u>

कृष्णावती देवी एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

विकास कुमार पंजियार एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 13.03.2026	परिसर से लगभग 22 किलोमिटर की दुरी पर है, जहाँ आने–जाने हेतु पक्की सड़क वो साधन हमेश उपलब्ध है। वादीगण न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति के लिए सुनिश्चित शुल्क अदाय करने को तैयार है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वर्णित परिस्थितियों के आलोक में मुदईयान के खर्चे पर विद्वान अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति करते हुए जाँच बिन्दुओं पर जाँचोपरान्त छायाप्रति सहित प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु आदेश देने की कृपा की जाय। प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण अभी उपस्थित नहीं हुए है। वादीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया तथा अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादीगण के द्वारा एक आवेदन दिनांक 24.02.2026 को अंदर आदेश 26 नियम 09 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दाखिल किया एवं निवेदन किया कि मुदालहम वादग्रस्त भूमि मुन्दर्जे अर्जी नालिश मद सं0–02 से मुदईयान को गैरकानूनी तरीके से बलपूर्वक बेदखल करने वो भूमि पर कच्चा निर्माण कर स्वरूप परिवर्तित करने पर अमादे वो प्रयासरत है। ऐसी परिस्थिति में वादग्रस्त भूमि के वर्तमान स्वरूप से संबंधित प्रतिवेदन अभिलेख पर लाने हेतु विद्वान अधिवक्ता आयुक्त के जाँच प्रतिवेदन की आवश्यक है। चूंकि, वाद लंबन के दौरान वादग्रस्त भूमि का संरक्षक न्यायालय होता है तथा न्यायालय का कार्य वादग्रस्त भूमि का वाद लंबन के दौरान संरक्षण करना होता है। अतः ऐसी दशा में वादग्रस्त भूमि की वर्तमान में वस्तु स्थिति क्या है, इस संबंध में अधिवक्ता आयुक्त से प्रतिवेदन की माँग किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी का आवेदन दिनांक 24.02.2026 को स्वीकार किया जाता है। तद्नुसार	

<u>न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–39/2026</u>

कृष्णावती देवी एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

विकास कुमार पंजियार एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 13.03.2026	व्यवहार न्यायालय, नरकटियागंज के स्थानीय विद्वान अधिवक्ता श्री मनीष कुमार को अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया जाता है तथा उन्हें आदेशित किया जाता है कि वह वादग्रस्त भूमि की वस्तु स्थिति के संबंध में आवेदन में वर्णित तथ्यों पर फोटोग्राफ्स के साथ प्रतिवेदन समर्पित करें। अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति के मद में होने वाला व्यय मो0–2500/– रूपये वादीगण के द्वारा वहन किया जायेगा। वाद दिनांक 23.03.2026 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। (लेखापित) अवर न्यायाधीश–1 नरकटियागंज	